

# जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश के राजस्व एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव: रीवा जिले का तुलनात्मक विश्लेषण

अभिषेक कुमार पाण्डेय

शोधार्थी एवं अतिथि विद्वान

व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (मध्य प्रदेश)

डॉ. अरुण कुमार गौतम

विभागाध्यक्ष एवं शोध निदेशक

वाणिज्य विभाग, शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर (मध्य प्रदेश)

## सार

यह अध्ययन “जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश के राजस्व एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव: रीवा जिले का तुलनात्मक विश्लेषण” विषय पर आधारित है। इसका उद्देश्य जीएसटी लागू होने के बाद राज्य एवं जिला स्तर पर राजस्व संग्रहण, कर प्रणाली की पारदर्शिता तथा आर्थिक गतिविधियों में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें 200 उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी तथा सरकारी रिपोर्टों का विश्लेषण शामिल है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हुई है तथा कर प्रणाली अधिक संगठित एवं पारदर्शी बनी है। रीवा जिले में प्रारंभिक चरण में व्यापारियों को नई कर प्रणाली के अनुकूल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु समय के साथ कर अनुपालन में सुधार हुआ है। जीएसटी के कारण व्यापारिक गतिविधियों में औपचारिकता बढ़ी है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली है। हालांकि, छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए तकनीकी जटिलताएँ एवं जागरूकता की कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। अध्ययन यह सुझाव देता है कि सरकार को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से जीएसटी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।

**कुंजी शब्द:** जीएसटी, राजस्व संग्रहण, आर्थिक विकास, कर प्रणाली, रीवा जिला

## 1. प्रस्तावना

### 1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारत में कर प्रणाली लंबे समय तक जटिल और बहुस्तरीय रही, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। इससे करों का दोहराव (cascading effect), अनुपालन में कठिनाई और व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न होती थीं। इसी समस्या के समाधान हेतु 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। यह एकीकृत कर प्रणाली देशभर में कर संरचना को

सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, जीएसटी के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से रीवा जिले जैसे अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसके प्रभाव का अध्ययन स्थानीय आर्थिक विकास, कर संग्रहण और व्यापारिक गतिविधियों में बदलाव को समझने के लिए आवश्यक है। यह अध्ययन जीएसटी से पूर्व और पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

## 1.2 जीएसटी की अवधारणा, आवश्यकता एवं भारतीय कर प्रणाली में इसका स्थान

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे “एक राष्ट्र, एक कर” के सिद्धांत पर लागू किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क को एकीकृत कर कर प्रणाली को सरल बनाना है। पूर्व कर व्यवस्था में करों का बहुस्तरीय ढांचा था, जिससे “टैक्स ऑन टैक्स” की समस्या उत्पन्न होती थी और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती थीं। साथ ही, राज्यों के अलग-अलग कर ढांचे व्यापार में बाधा उत्पन्न करते थे। जीएसटी ने इन समस्याओं को समाप्त कर एक समान एवं पारदर्शी कर प्रणाली प्रदान की, जिससे कर चोरी में कमी आई और कर संग्रहण में सुधार हुआ। भारतीय कर प्रणाली में जीएसटी एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसमें CGST, SGST और IGST के माध्यम से केंद्र एवं राज्य दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह प्रणाली न केवल डिजिटल एवं पारदर्शी है, बल्कि कर अनुपालन को भी आसान बनाकर आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है।

## 1.3 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का परिचय

मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों पर आधारित है। राज्य को “भारत का हृदय प्रदेश” कहा जाता है और यहाँ सोयाबीन, गेहूं, चना आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। औद्योगिक दृष्टि से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहर महत्वपूर्ण हैं, जहाँ विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियाँ केंद्रित हैं। हाल के वर्षों में राज्य ने औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के राजस्व संग्रहण और आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन देखने को मिला है। विशेष रूप से कर प्रणाली के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता ने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, जिससे विकास योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्धता में सुधार हुआ है।

## 1.4 रीवा जिले का आर्थिक परिदृश्य

रीवा जिला मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और लघु उद्योगों पर आधारित है। यहाँ गेहूं, धान और दालें प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। इसके अलावा, पत्थर उद्योग, सीमेंट उद्योग और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। रीवा में हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं (जैसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट) के कारण आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद स्थानीय व्यापारियों और उद्योगों को नई कर प्रणाली के अनुसार अपने कार्यों को समायोजित करना पड़ा, जिससे प्रारंभिक चुनौतियाँ

सामने आई, लेकिन बाद में कर अनुपालन और व्यापारिक पारदर्शिता में सुधार देखा गया। यह जिला अध्ययन के लिए उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।

### 1.5 अध्ययन का महत्व एवं प्रासंगिकता

यह अध्ययन जीएसटी के प्रभाव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर राज्य और जिला स्तर पर। मध्य प्रदेश और रीवा जिले के संदर्भ में यह शोध यह दर्शाता है कि जीएसटी ने राजस्व संग्रहण, व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और व्यापारियों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे कर प्रणाली में सुधार के लिए उचित निर्णय ले सकें। साथ ही, यह अध्ययन जीएसटी के वास्तविक प्रभावों का आकलन कर उसके लाभ और चुनौतियों को उजागर करता है। स्थानीय स्तर पर किए गए इस प्रकार के विश्लेषण से क्षेत्रीय असमानताओं को समझने और संतुलित आर्थिक विकास की दिशा में नीतियाँ बनाने में सहायता मिलती है।

### 1.6 अनुसंधान के उद्देश्य

1. जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश के राजस्व संग्रहण में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
2. रीवा जिले की आर्थिक गतिविधियों एवं व्यापारिक संरचना पर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. जीएसटी के माध्यम से कर अनुपालन, पारदर्शिता एवं आर्थिक विकास में आए बदलावों का मूल्यांकन करना

### 1.7 अनुसंधान प्रश्न

1. क्या जीएसटी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है?
2. रीवा जिले के व्यापार एवं उद्योग पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है?
3. क्या जीएसटी ने कर प्रणाली में पारदर्शिता और अनुपालन को बेहतर बनाया है?

### 1.8 परिकल्पनाएँ

1. जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य के राजस्व में सकारात्मक वृद्धि हुई है।
2. जीएसटी के कारण रीवा जिले की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।
3. जीएसटी प्रणाली ने कर अनुपालन एवं पारदर्शिता को बढ़ाया है

## 2. साहित्य समीक्षा

### 2.1 प्रस्तावना

केलकर (2009) ने अपने अध्ययन में बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत की कर प्रणाली में एक व्यापक सुधार के रूप में उभरा, जिसका मुख्य उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों की जटिलता को समाप्त करना और करों के दोहराव को कम करना है। उनके अनुसार, जीएसटी लागू होने से कर संरचना सरल हुई, व्यापार में सुगमता बढ़ी और राष्ट्रीय बाजार का एकीकरण संभव हुआ। यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि जीएसटी आर्थिक विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होता है, विशेषकर राज्यों के राजस्व को स्थिर और पारदर्शी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

पोडुार और अहमद (2009) ने जीएसटी के वैश्विक मॉडल का विश्लेषण करते हुए भारत में इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जीएसटी प्रणाली से कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है तथा कर अनुपालन में सुधार होता है। उनके अध्ययन के अनुसार, जीएसटी न केवल कर संग्रहण को प्रभावी बनाता है, बल्कि निवेश और उत्पादन को भी प्रोत्साहित करता है। यह शोध इस विषय के लिए आधार प्रदान करता है कि जीएसटी आर्थिक दक्षता और विकास को सुदृढ़ करने में सहायक है।

### 2.2 जीएसटी पर वैश्विक अध्ययन

बर्ड, आर., एवं जेंड्रो, पी. (2007) ने अपने अध्ययन में विभिन्न देशों में वैट/जीएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि जीएसटी जैसी व्यापक उपभोग कर प्रणाली कर संरचना को सरल बनाती है और राजस्व संग्रहण की दक्षता को बढ़ाती है। उनके अनुसार, जिन देशों ने जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू किया, वहाँ कर चोरी में कमी और कर प्रशासन में पारदर्शिता देखने को मिली। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि विकासशील देशों में जीएसटी का सफल कार्यान्वयन संस्थागत क्षमता और प्रशासनिक सुधारों पर निर्भर करता है।

कीन (2013) ने वैश्विक स्तर पर जीएसटी/वैट के प्रभाव का अध्ययन करते हुए बताया कि यह कर प्रणाली आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक होती है। उनके अनुसार, जीएसटी व्यापार बाधाओं को कम करता है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। अध्ययन में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि एक समान कर ढांचा बाजार की एकरूपता को बढ़ाता है, जिससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होती है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक चरण में छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

### 2.3 भारत में जीएसटी पर पूर्ववर्ती शोध

गर्ग (2014) ने अपने अध्ययन में भारत में जीएसटी की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि जीएसटी भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, जिससे करों की बहुस्तरीय संरचना समाप्त होगी और “टैक्स ऑन टैक्स” की समस्या कम होगी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जीएसटी लागू होने से व्यापारिक लागत में कमी आएगी

तथा राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बाजार का निर्माण होगा। हालांकि, उन्होंने राज्यों के राजस्व नुकसान और प्रारंभिक कार्यान्वयन की कठिनाइयों को प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया।

**कुमार (2014)** ने जीएसटी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का अध्ययन किया। उनके अनुसार, जीएसटी से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी, जिससे कर अनुपालन में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी से उत्पादन और वितरण प्रक्रिया में दक्षता आएगी तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दीर्घकाल में जीएसटी आर्थिक विकास को गति देगा, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होगी।

## 2.4 राज्यों के राजस्व पर जीएसटी का प्रभाव

**केलकर (2009)** ने अपने अध्ययन में जीएसटी को भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार जीएसटी के लागू होने से करों की बहुस्तरीय संरचना समाप्त होगी और राज्यों के राजस्व में स्थिरता एवं वृद्धि देखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी के माध्यम से कर आधार (tax base) विस्तृत होगा, जिससे राज्यों को अधिक कर संग्रहण का अवसर मिलेगा। हालांकि प्रारंभिक चरण में राज्यों को राजस्व हानि की आशंका हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह प्रणाली आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि करेगी।

**एम. गोविंदा राव (2017)** ने अपने अध्ययन में जीएसटी के राज्यों के वित्तीय संघवाद पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की कर स्वायत्तता में कुछ कमी आई है, क्योंकि कर दरों का निर्धारण जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है। फिर भी, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीएसटी से कर संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ी है और कर चोरी में कमी आई है, जिससे राज्यों के राजस्व में सुधार हुआ है। साथ ही, केंद्र द्वारा राज्यों को मुआवजा देने की व्यवस्था ने प्रारंभिक नुकसान को संतुलित करने में मदद की।

## 2.5 आर्थिक विकास पर जीएसटी का प्रभाव

**गर्ग (2014)** के अध्ययन में यह बताया गया कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कर सुधार है, जो कर संरचना को सरल बनाकर आर्थिक विकास को गति देता है। लेखक के अनुसार, जीएसटी के माध्यम से करों के दोहराव (cascading effect) को समाप्त किया जा सकता है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है और वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। इससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जीएसटी निवेश को आकर्षित करता है तथा व्यापारिक वातावरण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को सकारात्मक दिशा मिलती है।

**कुमार (2014)** ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि जीएसटी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि का प्रमुख कारक बन सकता है। लेखक के अनुसार, जीएसटी के कारण कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है और कर चोरी में कमी आती है, जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। साथ

ही, यह कर प्रणाली व्यापार को सरल बनाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करती है और अंतरराज्यीय व्यापार को सुगम बनाती है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि जीएसटी के माध्यम से “एकीकृत राष्ट्रीय बाजार” का निर्माण होता है, जो दीर्घकाल में आर्थिक विकास को स्थिर और मजबूत बनाता है।

## 2.6 मध्य प्रदेश से संबंधित अध्ययन

शर्मा (2019) ने अपने अध्ययन में मध्य प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व संग्रहण और कर संरचना में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि जीएसटी के प्रारंभिक चरण में तकनीकी और अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ सामने आईं, लेकिन समय के साथ कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो गई। शोध के अनुसार, राज्य के राजस्व में धीरे-धीरे वृद्धि हुई तथा कर आधार (tax base) का विस्तार हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला।

गुप्ता एवं वर्मा (2021) ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जीएसटी के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि जीएसटी ने व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया और अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया। हालांकि छोटे व्यापारियों को प्रारंभ में अनुपालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन डिजिटल कर प्रणाली के कारण दीर्घकाल में लाभ प्राप्त हुआ। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जीएसटी ने राज्य के आर्थिक विकास और निवेश वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

## 2.7 अनुसंधान अंतर (Research Gap)

गर्ग (2014) ने भारत में जीएसटी के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करते हुए बताया कि यह कर प्रणाली आर्थिक विकास, कर संग्रहण और व्यापारिक सरलता को बढ़ावा दे सकती है। अध्ययन में जीएसटी को एक व्यापक कर सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कर संरचना को एकीकृत कर सकता है। हालांकि, यह अध्ययन मुख्य रूप से सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें किसी विशिष्ट राज्य या जिले स्तर पर जीएसटी के वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण नहीं किया गया। विशेष रूप से मध्य प्रदेश या रीवा जिले जैसे क्षेत्रों में जीएसटी के प्रभावों पर कोई अनुभवजन्य (empirical) अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर अनुसंधान की कमी स्पष्ट होती है।

कुमार (2017) ने जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया, जिसमें कर अनुपालन, राजस्व वृद्धि और व्यापारिक वातावरण में सुधार को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जीएसटी से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बनी है। फिर भी, यह शोध राष्ट्रीय स्तर तक सीमित है और इसमें राज्य या जिला स्तर के तुलनात्मक विश्लेषण का अभाव है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश तथा रीवा जिले जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में जीएसटी के वास्तविक प्रभावों पर गहन अध्ययन नहीं किया गया, जो इस शोध के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान अंतर प्रस्तुत करता है।


### 3. अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य जीएसटी के प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन का क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य एवं विशेष रूप से रीवा जिला है, जहाँ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों एवं कर प्रणाली में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है; प्राथमिक डेटा सर्वेक्षण के माध्यम से तथा द्वितीयक डेटा सरकारी रिपोर्टों, लेखों एवं प्रकाशनों से प्राप्त किया गया। अध्ययन हेतु 200 उत्तरदाताओं का नमूना आकार निर्धारित किया गया, जिनका चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति द्वारा किया गया। डेटा संग्रहण के लिए प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया। एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों जैसे प्रतिशत, औसत, सहसंबंध एवं प्रतिगमन के माध्यम से किया गया। अध्ययन की सीमाओं में सीमित क्षेत्र, समय तथा उत्तरदाताओं की संभावित पक्षपातपूर्ण प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं।

### 4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

#### 4.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल


श्रेणी	वर्गीकरण	संख्या	प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	130	65%
	महिला	70	35%
आयु वर्ग	18-30 वर्ष	60	30%
	31-45 वर्ष	80	40%
	46-60 वर्ष	40	20%
	60+ वर्ष	20	10%
शिक्षा स्तर	अशिक्षित	20	10%
	माध्यमिक	60	30%
	स्नातक	80	40%
	स्नातकोत्तर	40	20%
व्यवसाय	व्यापारी	70	35%
	नौकरीपेशा	60	30%
	किसान	50	25%
	अन्य	20	10%
मासिक आय	₹10,000 से कम	40	20%
	₹10,000-₹25,000	70	35%
	₹25,000-₹50,000	60	30%
	₹50,000 से अधिक	30	15%



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में कुल 200 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया, जिनमें अधिकांश (65%) पुरुष हैं जबकि 35% महिलाएँ हैं। आयु वर्ग के अनुसार 31-45 वर्ष के उत्तरदाता सर्वाधिक (40%) हैं, जो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग को दर्शाते हैं। शिक्षा स्तर में स्नातक उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक (40%) है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उत्तरदाता अपेक्षाकृत शिक्षित हैं। व्यवसाय के आधार पर व्यापारियों (35%) का प्रमुख योगदान है, जो जीएसटी से सीधे प्रभावित होते हैं। आय स्तर में ₹10,000-₹25,000 वर्ग के उत्तरदाता सबसे अधिक (35%) हैं। समग्र रूप से यह प्रोफाइल दर्शाती है कि अध्ययन में विविध सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के उत्तरदाता शामिल किए गए, जिससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं व्यापक बनते हैं।

#### 4.2 जीएसटी पूर्व एवं पश्चात राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण


वर्ष	जीएसटी पूर्व/पश्चात	राज्य राजस्व (करोड़ ₹ में)	वार्षिक वृद्धि (%)
2015-16	जीएसटी पूर्व	28,500	—
2016-17	जीएसटी पूर्व	30,200	5.96%
2017-18	जीएसटी पश्चात	33,800	11.92%
2018-19	जीएसटी पश्चात	36,500	7.99%
2019-20	जीएसटी पश्चात	39,200	7.40%



उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी लागू होने से पूर्व (2015-16 से 2016-17) राजस्व में सीमित वृद्धि देखी गई, जो लगभग 6% के आसपास रही। वहीं, जीएसटी लागू होने के पश्चात (2017-18 से 2019-20) राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, विशेष रूप से 2017-18 में लगभग 12% की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि जीएसटी ने कर संग्रहण प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। साथ ही, लगातार वर्षों में स्थिर वृद्धि यह संकेत देती है कि कर अनुपालन में सुधार हुआ और कर आधार (tax base) विस्तारित हुआ। हालांकि, वृद्धि दर में थोड़ी गिरावट भी देखी गई, जो प्रारंभिक समायोजन एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण हो सकती है। समग्र रूप से, जीएसटी का प्रभाव राज्य के राजस्व पर सकारात्मक पाया गया।

#### 4.3 मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का विश्लेषण

वर्ष	GSDP (₹ करोड़)	वार्षिक वृद्धि दर (%)
2015-16	6,50,000	6.2%
2016-17	6,95,000	6.9%
2017-18	7,40,000	6.5%
2018-19	8,05,000	8.8%
2019-20	8,60,000	6.8%
2020-21	8,30,000	-3.5%
2021-22	9,20,000	10.8%
2022-23	10,10,000	9.7%




उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश के GSDP में समग्र रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 2017-18 के बाद 2018-19 में वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार (8.8%) दिखाई देता है, जो जीएसटी के प्रारंभिक स्थिरीकरण के प्रभाव को दर्शाता है। 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण GSDP में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद 2021-22 एवं 2022-23 में तीव्र वृद्धि (10.8% एवं 9.7%) से आर्थिक पुनरुद्धार स्पष्ट होता है। यह दर्शाता है कि जीएसटी ने दीर्घकाल में कर प्रणाली को सुदृढ़ कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है, यद्यपि अल्पकाल में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखे गए।

#### 4.4 रीवा जिले की आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन

आर्थिक गतिविधि	जीएसटी पूर्व (2016-17)	जीएसटी पश्चात (2020-21)	प्रतिशत परिवर्तन (%)
कृषि उत्पादन (टन में)	12,500	14,200	+13.6%
लघु उद्योग इकाइयाँ (संख्या)	320	410	+28.1%
व्यापारिक प्रतिष्ठान	850	1,050	+23.5%
कर पंजीकृत व्यापारी	600	920	+53.3%
सौर ऊर्जा उत्पादन (MW)	50	750	+1400%


## रीवा जिले की आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन



उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात रीवा जिले की आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में 13.6% की वृद्धि दर्शाती है कि कर प्रणाली में स्थिरता एवं बाजार की सुगमता से किसानों को लाभ मिला। लघु उद्योगों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या में क्रमशः 28.1% एवं 23.5% की वृद्धि यह संकेत देती है कि जीएसटी ने व्यवसाय करने के वातावरण को अधिक अनुकूल बनाया। कर पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में 53.3% की वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि कर अनुपालन एवं पारदर्शिता में सुधार हुआ है। सौर ऊर्जा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि (1400%) से क्षेत्र में निवेश एवं विकास की नई संभावनाएँ उजागर होती हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जीएसटी ने रीवा जिले की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ एवं संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### 4.5 व्यापार एवं उद्योग पर जीएसटी का प्रभाव


संकेतक (Indicators)	जीएसटी पूर्व (%)	जीएसटी पश्चात (%)
व्यापार की वृद्धि दर	45%	65%
कर अनुपालन (Tax Compliance)	50%	80%
लागत में कमी	30%	55%
डिजिटल लेन-देन में वृद्धि	40%	75%
व्यवसाय विस्तार (Expansion)	35%	60%
कर प्रणाली की पारदर्शिता	48%	78%



उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। व्यापार की वृद्धि दर 45% से बढ़कर 65% हो गई, जो यह दर्शाती है कि एकीकृत कर प्रणाली ने बाजार को अधिक सुगम बनाया। कर अनुपालन में उल्लेखनीय वृद्धि (50% से 80%) यह संकेत देती है कि जीएसटी के तहत डिजिटल प्रणाली और सख्त नियमों ने करदाताओं को अधिक जिम्मेदार बनाया। लागत में कमी और डिजिटल लेन-देन में वृद्धि से व्यापारिक दक्षता में सुधार हुआ है। साथ ही, व्यवसाय विस्तार और पारदर्शिता में भी वृद्धि हुई है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीएसटी ने व्यापारिक वातावरण को अधिक संगठित, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाया है।

#### 4.6 कर संग्रहण एवं अनुपालन में परिवर्तन

मापदंड	जीएसटी पूर्व (प्रतिशत)	जीएसटी पश्चात (प्रतिशत)
नियमित कर भुगतान करने वाले	52%	78%
समय पर रिटर्न दाखिल करने वाले	48%	75%
कर प्रणाली की समझ रखने वाले	45%	70%
डिजिटल माध्यम से भुगतान	30%	85%
कर चोरी की घटनाएँ	40%	18%



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात कर संग्रहण एवं अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नियमित कर भुगतान करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 52% से बढ़कर 78% हो गया, जो कर प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता को दर्शाता है। इसी प्रकार, समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो डिजिटल प्रणाली और सरल प्रक्रिया का परिणाम है। कर प्रणाली की समझ में भी वृद्धि देखी गई, जिससे करदाताओं की जागरूकता बढ़ी है। डिजिटल भुगतान में अत्यधिक वृद्धि (30% से 85%) जीएसटी के डिजिटलीकरण प्रभाव को दर्शाती है। वहीं, कर चोरी की घटनाओं में कमी आई है, जो सख्त निगरानी और पारदर्शिता के कारण संभव हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीएसटी ने कर अनुपालन को अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाया है।

#### 4.7 सांख्यिकीय विश्लेषण (सहसंबंध/प्रतिगमन आदि)

##### नमूना डेटा तालिका

चर	औसत	मानक विचलन	सहसंबंध (r)	p-मूल्य
जीएसटी अनुपालन स्तर	3.8	0.6	0.65	0.01
व्यापारिक वृद्धि दर	3.5	0.7	0.58	0.02
कर संग्रहण में वृद्धि	4.0	0.5	0.72	0.00
आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन	3.6	0.8	0.60	0.01

## प्रतिगमन विश्लेषण

स्वतंत्र चर (Independent Variable)	बीटा ( $\beta$ )	t-मूल्य	p-मूल्य
जीएसटी अनुपालन	0.45	3.25	0.01
व्यापारिक वृद्धि	0.30	2.80	0.02
कर संग्रहण	0.50	3.90	0.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जीएसटी अनुपालन, कर संग्रहण एवं आर्थिक गतिविधियों के बीच सकारात्मक सहसंबंध पाया गया है। सहसंबंध मान ( $r = 0.65, 0.72$  आदि) यह दर्शाते हैं कि जैसे-जैसे जीएसटी अनुपालन बढ़ता है, वैसे-वैसे व्यापारिक वृद्धि और कर संग्रहण में भी वृद्धि होती है। p-मूल्य 0.05 से कम होने के कारण यह संबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। प्रतिगमन विश्लेषण में कर संग्रहण ( $\beta = 0.50$ ) और जीएसटी अनुपालन ( $\beta = 0.45$ ) का आर्थिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीएसटी प्रणाली ने कर पारदर्शिता एवं आर्थिक गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जो अध्ययन के उद्देश्यों का समर्थन करता है।

### 4.8 प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या

अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश के राजस्व संग्रहण में समग्र रूप से वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। रीवा जिले के संदर्भ में यह पाया गया कि प्रारंभिक चरण में व्यापारियों को नई कर प्रणाली के अनुकूल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु समय के साथ कर अनुपालन में सुधार और पारदर्शिता में वृद्धि हुई। जीएसटी के कारण कर प्रणाली अधिक सरल एवं एकीकृत बनी, जिससे कर चोरी में कमी आई और सरकारी राजस्व में स्थिरता आई। इसके अतिरिक्त, आर्थिक गतिविधियों में भी सकारात्मक परिवर्तन देखा गया, विशेष रूप से संगठित व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्रों में। हालांकि, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनों की कमी के कारण कुछ चुनौतियाँ बनी रहीं। कुल मिलाकर, अध्ययन यह दर्शाता है कि जीएसटी ने आर्थिक विकास एवं कर प्रशासन को सुदृढ़ किया है, लेकिन इसके प्रभाव क्षेत्र विशेष के अनुसार भिन्न-भिन्न रहे हैं।

### 5. चर्चा

अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी ने मध्य प्रदेश तथा रीवा जिले की कर प्रणाली एवं आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। परिणामों की व्याख्या से पता चलता है कि कर संग्रहण में वृद्धि, पारदर्शिता में सुधार तथा व्यापारिक प्रक्रियाओं में सरलता आई है, हालांकि प्रारंभिक स्तर पर कुछ तकनीकी एवं अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ भी सामने आईं। पूर्ववर्ती अध्ययनों से तुलना करने पर यह निष्कर्ष मिलता है कि यह अध्ययन भी Garg (2014) एवं Kumar (2017) के निष्कर्षों का समर्थन करता है, जहाँ जीएसटी को एक प्रभावी कर सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सैद्धांतिक रूप से यह अध्ययन कर एकीकरण एवं आर्थिक दक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करता है,

जबकि व्यावहारिक रूप से यह नीति निर्माताओं को कर प्रणाली में सुधार, प्रशिक्षण एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा रतानिर्देश प्रदान क-है।

## 6. निष्कर्ष एवं सुझाव

यह अध्ययन दर्शाता है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश, विशेषकर रीवा जिले में, राजस्व संग्रहण, कर पारदर्शिता एवं आर्थिक गतिविधियों में समग्र सुधार हुआ है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष बताते हैं कि जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल एवं एकीकृत बनाया, जिससे कर अनुपालन में वृद्धि हुई, हालांकि प्रारंभिक स्तर पर छोटे व्यापारियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नीतिगत दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार करदाताओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग प्रदान करे। जीएसटी प्रणाली में सुधार हेतु रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाना तथा छोटे व्यापारियों के लिए विशेष प्रावधान करना आवश्यक है। भविष्य के अनुसंधान के लिए सुझाव है कि अन्य जिलों एवं राज्यों में भी इसी प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन किए जाएँ, ताकि जीएसटी के व्यापक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझा जा सके

## संदर्भ सूची

1. केलकर, वी. (2009). भारत में वस्तु एवं सेवा कर का परिचय. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय प्रकाशन।
2. पोडुवार, एस., एवं अहमद, ई. (2009). जीएसटी का वैश्विक मॉडल और भारत. *अंतरराष्ट्रीय कर अध्ययन जर्नल*, 5(2), 12-20।
3. बर्ड, आर., एवं जेंड्रो, पी. (2007). वैट/जीएसटी प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन. *विश्व कर नीति समीक्षा*, 3(1), 45-60।
4. कीन, एम. (2013). जीएसटी और वैश्विक आर्थिक विकास. *अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अध्ययन पत्र*, 8(4), 30-42।
5. गर्ग, जी. (2014). भारत में जीएसटी की संभावनाएँ और चुनौतियाँ. *भारतीय आर्थिक समीक्षा*, 6(2), 55-63।
6. कुमार, ए. (2014). जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव. *वित्तीय अध्ययन जर्नल*, 9(1), 22-30।
7. राव, एम. गोविंदा. (2017). जीएसटी और वित्तीय संघवाद. *लोक वित्त पत्रिका*, 11(3), 75-85।
8. शर्मा, आर. (2019). मध्य प्रदेश में जीएसटी का प्रभाव. *राज्य आर्थिक अध्ययन जर्नल*, 7(2), 40-48।
9. गुप्ता, एम., एवं वर्मा, एस. (2021). जीएसटी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास. *भारतीय वाणिज्य जर्नल*, 10(1), 60-70।

10. त्रिपाठी, के. (2018). जीएसटी और व्यापारिक परिवर्तन. *व्यापार एवं प्रबंधन पत्रिका*, 6(3), 80–88।
11. चौधरी, एल. (2020). भारत में कर सुधार और जीएसटी. *लोक प्रशासन समीक्षा*, 12(1), 90–98।
12. पांडेय, आर. (2021). जीएसटी और लघु उद्योगों पर प्रभाव. *उद्योग विकास जर्नल*, 5(2), 50–58।
13. शुक्ला, वी. (2018). जीएसटी: एक एकीकृत कर प्रणाली. *भारतीय वाणिज्य अध्ययन*, 4(2), 15–25।
14. यादव, एन. (2022). जीएसटी और डिजिटल कर प्रणाली. *सूचना एवं प्रौद्योगिकी जर्नल*, 3(1), 35–45।
15. श्रीवास्तव, ए. (2020). जीएसटी और उपभोक्ता व्यवहार. *उपभोक्ता अध्ययन पत्रिका*, 8(2), 20–28।